## मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की दिनांक 05 फरवरी, 2016 को सम्पन्न बीसवीं बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) की 20वीं बैठक दिनांक 05, फरवरी 2016 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के साथ–साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ0 आशीष कुमार भूटानी द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र के विभागों/संस्थाओं यथा कृषि, पशुपालन, उद्यान, डेयरी, सिंचाई, लघु सिंचाई, मत्स्य, सहकारिता, रेशम, कृषि विविधीकरण परियोजना, प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय आदि के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष/प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त अधिकारियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ किया गया। बैठक मे लिये गये निर्णय एवं निर्देशों का विवरण निम्नवत् है :–

### 1:- समिति की गत बैठक दिनांक 30.10.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति को अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की गत बैठक दिनाँक 30.10.2015 को सम्पन्न हुई थी जिसका कार्यवृत्त पत्र सं0–1689/12–3–2015–199/2007 दिनांक 16.11.2015 के द्वारा समिति के समस्त सदस्यों एवं कार्यदायी विभागों को उपलब्ध कराया गया है। जारी कार्यवृत्त के प्रस्तर–7.2 A(i), B(i), B(ii) एवं C के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 के पत्र दिनाँक 26.11.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उल्लिखित प्रस्तरों पर पी0सी0डी0एफ0 की अनुमोदित परियोजनाओं हेतु भारत सरकार के अभिमत के अनुसार 50% धनराशि की व्यवस्था वर्ष 2015–16 के विभागीय बजट में उपलब्ध नहीं है। इस धनराशि के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु बजट प्रस्तावित किया गया है, अतः अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कराया जा सकेगा। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पी0सी0डी0एफ0 के स्तर पर उपलब्ध धनराशि रू0 7.31 करोड़ का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में कराने एवं 50% धनराशि की व्यवस्था दुग्ध विकास विभाग के बजट में वर्ष 2016–17 के लिए व्यवस्था होने पर आर0के0वी0वाई0 से धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ समिति द्वारा बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

### 2:- गत बैठक दिनांक 30.10.2015 में लिए गए निर्णयों पर परिपालन की स्थिति

बैठक में अवगत कराया गया कि समिति की गत बैठक दिनांक 30.10.2015 में लिए गये निर्णयों पर सामान्यतः यथा निर्देश परिपालन करा लिया गया है, जिसका विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं0–2 से 20 पर दिया गया है। समिति द्वारा प्रस्तरवार परिपालन की स्थिति का संज्ञान लिया गया।

**3:- योजना की अद्यतन प्रगति की स्थिति**

I. योजनान्तर्गत गत वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त अवशेष के रूप में कुल रू0 185.39 करोड़ की धनराशि उपलब्ध थी। इसमें से वर्ष 2014–15 की अप्रयुक्त धनराशि रू0 149.80 करोड़ के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा रू0 149.80 करोड़ का शत्–प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में व्यय करने की अनुमति के साथ पुनर्वैधीकरण किया गया है। पुनर्वैध धनराशि के अन्तर्गत रू0 73.88 करोड़ आर0के0वी0वाई0–सामान्य एवं रू0 75.92 करोड़ उपयोजनाओं की धनराशि सम्मिलित है। आर0के0वी0वाई0– सामान्य की पुनर्वैध धनराशि रू0 73.88 करोड़ का व्यय कराते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को निदेशालय के पत्र दिनाँक 03.02.2016 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। उपयोजनाओं की उपलब्ध पुनर्वैध धनराशि रू0 75.92 करोड़ के सापेक्ष अब तक रू0 43.84 करोड का व्यय करा लिया गया है तथा बी.जी.आर.ई.आई.–उपयोजना की पुनर्वैध धनराशि रू0 29.46 करोड़ के सापेक्ष रू0 29.17 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय के पत्र दिनाँक 22.12.2015 द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है। समिति द्वारा प्रगति को संज्ञान लेते हुए भारत सरकार की अपेक्षानुसार शेष उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

II. उक्त क्रम में समिति को यह भी अवगत कराया गया कि आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत दिनाँक 01.04.2015 को वर्ष 2013–14 की उपलब्ध अप्रयुक्त धनराशि रू0 35.59 करोड़ का परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न 60:40 के आधार पर वर्ष 2015–16 में व्यय करने हेतु भारत सरकार के पत्र दिनाँक 19.01.2016 के द्वारा पुनर्वैधीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि यदि राज्य सहमत न हो तो यह धनराशि कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को वापस कर दी जाय। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत सरकार के पूर्व पत्र दिनाँक 12.06.2015 के द्वारा अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग शत्–प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में किये जाने की स्वीकृति निर्गत की गयी है। तद्क्रम में धनराशि रू0 35.59 करोड़ का उपयोग शत्–प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में करने की अनुमति हेतु भारत सरकार को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय।

III. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए फन्डिग पैटर्न पुनः संशोधित करते हुए 60:40 (केन्द्रांश:राज्यांश) के आधार पर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पूर्व पत्र दिनाँक 01.12.2015 के द्वारा आर0के0वी0वाई0–सामान्य हेतु रू0 468.02 करोड़ (रू0 280.81 करोड़ केन्द्रांश एवं रू0 187.21 करोड़ राज्यांश) का एलोकेशन निर्गत किया गया है। आर0के0वी0वाई0 की बी0जी0आर0ई0आई0–उपयोजनान्तर्गत परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार अब रू0 123.33 करोड़ (रू0 74.00 करोड़ केन्द्रांश एवं रू0 49.33 करोड़ राज्यांश) की उपलब्धता होगी। इस प्रकार वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत कुल रू0 591.35 करोड़ की उपलब्धता सम्भावित है।

IV. योजनान्तर्गत भारत सरकार स्तर से प्रथम किश्त के रूप में आर0के0वी0वाई0– सामान्य एवं बी0जी0आर0ई0आई0 उपयोजना के लिए पृथक–पृथक धनराशि रू0 86.99 करोड़ तथा रू0 37.00 करोड़, कुल केन्द्रांश रू0 123.99 करोड़ की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गई है। उपलब्ध केन्द्रांश के सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 82.66 करोड़ को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 206.65 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की जानी है। राज्य स्तर से अब तक 98.54 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी की जा चुकी हैं। शेष वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी कराने की कार्यवाही क्रमिक है। समिति द्वारा स्थिति का संज्ञान लिया गया तथा निर्देश दिये गये कि समस्त कार्यदायी विभाग/संस्थायें उपलब्ध धनराशि का उपयोग कराते हुए केन्द्र स्तर से द्वितीय किश्त की प्राप्ति हेतु अपेक्षित 60 प्रतिशत व्यय के साथ उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनाँक 10.02.2016 तक कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनाँक 10.02.2016 को बैठक आयोजित कर समीक्षा भी कर ली जाय।

V. अध्यक्ष द्वारा उल्लेखित किया गया कि आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत गन्ना विभाग द्वारा विगत वर्षो में संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये गये कार्यो के परिणाम उत्सावर्धक रहे हैं, उनकी सफलता की कहानी प्रस्तुत की जाय।

VI. समिति को यह भी अवगत कराया गया वर्ष 2014–15 तक उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष दिनाँक 30 अक्टूबर 2015 तक विभिन्न विभागों के स्तर पर रू0 27.66 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण लम्बित थे। समिति के निर्देशानुसार विभागों/संस्थाओं से रू0 14.85 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं। वर्तमान में रू0 12.81 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र अब भी विभिन्न विभागों के स्तर से लम्बित हैं। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित संस्थायें यथा– पी0सी0डी0एफ0, सहकारिता विभाग, कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, मेरठ एवं वाराणसी लम्बित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राथमिकता पर नोडल विभाग को उपलब्ध करा दें तथा नोडल विभाग द्वारा लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का नियमित अनुश्रवण किया जाय।

**4:- एस0एल0एस0सी0 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं में कतिपय संशोधनों पर विचार**

समिति के समक्ष एजेण्डा–4 के रूप में एस0एल0एस0सी0 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं में संशोधनों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिये गये निर्णय/निर्देशों का विवरण निम्नवत् है :–

I. सहकारिता विभाग–

i) **Construction of godown at PACS:-** समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2014–15 में रू0 6700.10 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी जिसके सापेक्ष कुल 303 गोदामों

का निर्माण कार्य कराया जाना था। सहकारिता विभाग द्वारा रू0 6511.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये हैं तथा रू0 189.10 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित हैं। प्रस्तावानुसार फिरोजाबाद, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ एवं इलाहाबाद जनपदों में प्रस्तावित 06 गोदाम निर्माण के कार्यों के सम्बन्ध में कतिपय कारणों से वाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इन गोदामों के निर्माण पर अब तक रू0 23.92 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा रू0 100.10 लाख कार्यदायी संस्था पैक्फेड के स्तर पर उपलब्ध है। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में सहकारिता विभाग द्वारा व्यय कर ली गई धनराशि रू0 23.92 लाख का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने तथा अवशेष धनराशि रू0 100.10 लाख के उपयोग हेतु नये गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। *भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि एस0एल0एस0सी0 के पूर्व निर्णय को अंकित करें तथा लम्बित वाद निस्तारित कराते हुए कार्यों को पूर्ण कराये ताकि धनराशि के अपव्यय से बचा जा सके। चूँकि गोदामों के निर्माण स्थल परिवर्तित हो रहे है ऐसी स्थिति में उपलब्ध धनराशि का उपयोग 60:40 के फण्डिंग पैटर्न पर किया जा सकता है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय दिया गया कि लम्बित धनराशि वर्ष 2014–15 में कोषागार से आहरित अवशेष के रूप में उपलब्ध है, अतः इस धनराशि का उपयोग पूर्व फण्डिंग पैटर्न (शत्–प्रतिशत) के अनुसार ही किया जाना उपयुक्त होगा। तदोपरान्त् समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजकर सकारात्मक अभिमत प्राप्त होने पर नवीन गोदामों के निर्माण का कार्य कराने के निर्देश दिये गये।**

II. कृषि विभाग–

**i) Bringing Green Revolution to Eastern India (BGREI) :-** समिति को अवगत कराया गया कि उपयोजना हेतु वर्ष 2015–16 के लिए भारत सरकार द्वारा रू0 14800.00 लाख का एलोकेशन किया गया था जिसके अनुसार एस.एल.एस.सी. की बैठक दिनाँक 30.10.2015 में कार्य योजना अनुमोदित करायी गयी थी। वर्तमान में संशोधित फण्डिंग पैटर्न (60:40) के आधार पर भारत सरकार स्तर से उपयोजनान्तर्गत मात्र रू0 12333.00 लाख की उपलब्धता सम्भावित है। कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधित कार्ययोजना लागत रू0 12333.00 लाख के सम्बन्ध में एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में एस0एल0एल0सी0 के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्राप्त कर ली गयी है। विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनाँक 12.01.2016 के क्रम में रू0 11885.00 लाख की संशोधित कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित करते हुए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी है। *भारत सरकार द्वारा सामान्यतः कार्ययोजनान्तर्गत फसलोत्पादन से सम्बन्धित प्रस्तावित कार्यो को बी0जी0आर0ई0आई0–उपयोजना की गाइड लाइन्स तथा परिसम्पत्ति सृजन (Asset Building) के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को एस0एम0ए0एम0 के नार्म्स् के अनुसार निष्पादित कराने के निर्देश के साथ सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार उपयोजना का क्रियान्वयन कराने के निर्देश के साथ संशोधित कार्ययोजना लागत रू0 11885.00 लाख का वर्ष 2015–16 के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।**

III. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग–

**i) Nursery seedling raising in low tunnel polynet and production of high value vegetables :-** समिति को अवगत कराया गया कि परियोजनान्तर्गत अनुमोदित टमाटर एवं पातगोभी के उत्पादन का समय व्यतीत हो जाने के कारण लक्ष्यों को कद्दूवर्गीय सब्जियों में परिवर्तित किया गया है। उद्यान विभाग के प्रस्ताव पर एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्राप्त कर ली गयी है। *भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि परियोजनान्तर्गत कार्यों की द्विरावृत्ति न हो तथा सर्वेक्षण एवं लाभार्थियों की सूची समय–समय पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ उपलब्ध कराने की अपेक्षा करते हुए परियोजना को एम0आई0डी0एच0 के कास्ट नार्म्स पर सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार के अभिमत/अपेक्षानुसार क्रियान्वयन कराने के निर्देश के साथ परिवर्तित लक्ष्यों की कार्ययोजना लागत रू0 1000.00 लाख का वर्ष 2015–16 के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।**

**ii) Horticulture development scheme for 30 Non-NHM districts :-** समिति को अवगत कराया गया कि परियोजना में 02 जनपदों यथा– बिजनौर एवं अमेठी हेतु लहसुन के बीज की उपलब्धता न होने के कारण इन जनपदों में लहसुन उत्पादन के स्थान पर मिर्च उत्पादन के कार्यक्रम परिवर्तित किये गये हैं। उद्यान विभाग के प्रस्ताव पर एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में एस.एल.एस.सी. के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्राप्त कर ली गयी है। *भारत सरकार द्वारा कार्य योजना के संशोधन प्रस्ताव को एम0आई0डी0एच0 के कास्ट नार्म्स पर सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार के अभिमत के अनुसार क्रियान्वयन कराने के निर्देश के साथ परिवर्तित लक्ष्यों का वर्ष 2015–16 के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।**

IV. उ0प्र0 बीज प्रमाणीकरण संस्था–

**i) Strengthening of seed testing laboratories at Lucknow & Kanpur :-** समिति को अवगत कराया गया कि परियोजनान्तर्गत जनपद लखनऊ एवं कानपुर की बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 151.16 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी थी। समिति के अनुमोदनानुसार सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की जा चुकी है। संस्था द्वारा कानपुर जनपद की बीज परीक्षण प्रयोगशाला में कराये जा रहे कार्यो के अतिरिक्त कतिपय कार्यो (आंतरिक विद्युतीकरण, एल्युमिनियम दरवाजे/खिड़कियॉ, आफिस फर्नीचर, इण्टरलाकिंग टाइल्स आदि) हेतु रू0 24.40 लाख की मॉग की गयी है। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में प्रस्ताव को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति प्राप्त की गयी है। *भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से की जाय, के अभिमत के साथ परियोजना को सपोर्ट नहीं किया गया है।* कृषि उत्पादन आयुक्त,

उ0प्र0 द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मूल्य वृद्धि के कारण आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था राज्य अपने स्रोतो से वहन कर लेगा, यदि परियोजनान्तर्गत अतिरिक्त कार्य प्रस्तावित किये गये हैं तो वित्त पोषण आर0के0वी0वाई अन्तर्गत किया जाना चाहिए। **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव को नवीन परियोजना के रूप में लोक निर्माण विभाग की दरों पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।**

**5:- वर्ष 2015–16 हेतु परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन**

समिति के समक्ष एजेण्डा–05 के रूप में कृषि एवं सम्वर्गीय विभागों द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये रू0 18093.17 लाख के परियोजना प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभागवार/परियोजनावार दिए गए निर्देशों/निर्णयों का विवरण निम्नवत् है :–**

**5.1 कृषि विभाग :–**

a. Farm ponds for conservation of rain water in Bundelkhand region परियोजना लागत रू0 1220.50 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि परियोजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 2000 खेत तालाबों का निर्माण कराया जाना है। परियोजना के सम्बन्ध में एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में लाभार्थी एवं तालाबों के स्थल चयन में जल समेट क्षेत्र के निचले भाग को ध्यान रखने तथा चयन प्रक्रिया हेतु जिला समिति में लघु सिंचाई एवं भू–गर्भ जल विभाग आदि के अधिकारियों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0 1210.00 लाख की संस्तुति एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ की गयी है। शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्तावित तालाबों में से 20 तालाब बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा के प्रक्षेत्र तथा शेष 1980 तालाब किसानों के खेत पर निर्मित किये जाने हैं, जिसके अनुसार अब धनराशि रू0 1220.50 लाख की आवश्यकता होगी। कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा इंगित किया गया कि तालाब 22X20X3 मी0 आकार के खोदे जाने हैं। उचित होगा कि तालाब में हर समय पानी की उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से तालाब के कम से कम 20 प्रतिशत भाग की 4.00 से 4.50 मी0 गहराई तक खोदाई कराई जाय तथा इच्छुक लाभार्थियों को एक नलकूप बोरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाय। इसके अतिरिक्त मत्स्य विभाग द्वारा इच्छुक लाभार्थियों के इन तालाबों पर मत्स्य पालन से सम्बन्धित कार्य भी कराये जा सकते हैं, जिस पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

*भारत सरकार द्वारा किसान के खेतों पर प्रस्तावित 1980 तालाबों को एन.एम.एस.ए. के कास्ट नार्म्स एवं कृषि विश्वविद्यालय बॉदा के प्रक्षेत्र पर प्रस्तावित 20 तालाबों को आर0के0वी0वाई0 की अवस्थापना विकास गाइड लाइन्स के अनुसार सपोर्ट किया गया है।*

*इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यो हेतु प्रस्तावित रू0 8000 प्रति तालाब कुल रू0 160.00 लाख के औचित्य से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है। तद्क्रम में भारत सरकार द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि आर0के0वी0वाई0 के 1 प्रतिशत प्रशासनिक मद की धनराशि से यथा आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के कार्यो हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार के अभिमत के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0 1220.50 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

**b.** Liabilities of Soil testing programme of previous years परियोजना लागत रू0 924.63 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में मृदा परीक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों यथा अपनी मिट्टी पहचानों आदि के अन्तर्गत शासन के निर्देशानुसार जनपदों को भौतिक लक्ष्य आवंटित करते हुए कार्य कराये गये हैं। वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो पाने के कारण रू0 924.63 लाख देनदारियॉ सृजित हुई हैं। *प्रस्ताव को एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुत एस0एल0पी0एस0सी0 (06.01.2016) द्वारा की गयी है। परियोजना को भारत सरकार द्वारा भी वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् भारत सरकार की संस्तुति के अनुसार वर्ष 2015–16 में रू0 924.63 लाख के वित्त पोषण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**

**c.** Liabilities of Seed production programme of Govt. agriculture farms परियोजना लागत रू0 1358.00 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में राजकीय बीज प्रक्षेत्रों पर कराये गये बीजोत्पादन कार्यक्रमों के लम्बित भुगतान हेतु रू0 1358.00 लाख की संस्तुति, इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि लम्बित दायित्व भुगतानों का परीक्षण विभागीय सम्प्रेक्षण से करा लिया जाय तथा फार्मों पर श्रमिकों को लगाए जाने के नार्म्स को भी देख लिया जाय। *भारत सरकार द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में इंगित किया गया है कि देनदारियॉ स्वीकृति परियोजना के सापेक्ष सृजित होनी प्रतीत नहीं हो रही है। अतः प्रस्ताव को पूर्व अनुमोदित परियोजना के विस्तृत परीक्षण के अभाव में आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत स्वीकृति नहीं किया जा सकता है। साथ ही परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित अभिजनक बीज घटक हेतु रू0 199.00 लाख के वित्त पोषण को सपोर्ट किया गया है तथा अपेक्षा की गयी है कि परियोजना के विस्तृत परीक्षण के लिये पूर्व अनुमोदित परियोजना की सूचनायें उपलब्ध करायी जाय।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 199.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने तथा भारत सरकार को अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध कराने एवं सकारात्मक अभिमत प्राप्त होने**

की स्थिति में शेष धनराशि रू0 1159.00 लाख निर्गत करने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0 1358.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

**5.2** राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद :–

**a.** Establishment of 07 pesticide residual testing laboratories. परियोजना लागत रू0 1120.00 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में मण्डी परिषद द्वारा Pesticide Residual Testing Laboratories की 06 जनपदों के मण्डी परिसरों में तथा 01 प्रयोगशाला सीमा रहमानखेड़ा पर प्रदेश स्तर की रेफरल लैब के रूप में स्थापित करने हेतु रू0 1120.00 लाख की संस्तुति एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रदान की गयी है। *भारत सरकार के विपणन अनुभाग द्वारा परियोजना हेतु आई.एस.ए.एम. की उपयोजना ए.एम.आई. के नार्म्स पर 25 प्रतिशत धनराशि के वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। भारत सरकार के अभिमत पर प्रमुख सचिव कृषि द्वारा इंगित किया गया कि प्रस्तावित प्रयोगशालाओं की स्थापना राज्य सेक्टर में करायी जानी है जिसके लिये आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत शत् प्रतिशत वित्त पोषण की व्यवस्था दी गयी है, जिस पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना लागत रू0 1120.00 लाख के शत् प्रतिशत वित्त पोषण हेतु अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया गया कि परियोजनान्तर्गत प्रमाणन की द्विरावृत्ति (Duplicacy) रोकने की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।**

**5.3** राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा :–

**a.** Fencing at Govt. farms, Rehmankhera-II phase परियोजना लागत रू0 318.30 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में रहमानखेड़ा प्रक्षेत्र के तारबाड़ कार्यो हेतु रू0 318.30 लाख की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि तारबाड़ के कार्यो के साथ Green Live Hedge के रूप में करौंदा आदि के रोपण के कार्य भी सम्पन्न कराये जाय। *भारत सरकार द्वारा भी परियोजना को आर0के0वी0वाई0 की अवस्थापना विकास गाइड लाइन्स् के अनुसार वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावित तारबाड़ के कार्यों के साथ सतावरी एवं करौंदा आदि की बाड़ लगाने की लागत को परियोजनान्तर्गत सम्मिलित करने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0 318.30 लाख का अनुमोदन वर्ष 2015–16 के लिए प्रदान किया गया।**

**b.** Construction of fencing of Sehlamau farm under SIMA परियोजना लागत रू0 604.62 लाख :– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में सेहलामऊ प्रक्षेत्र के तारबाड़ के कार्यो हेतु रू0 604.62 लाख की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि तारबाड़ के कार्यो के साथ Green Live Hedge के रूप में करौंदा आदि के रोपण के कार्य भी सम्पन्न कराये जाय। *भारत सरकार*

*द्वारा भी परियोजना को आर0के0वी0वाई0 की अवस्थापना विकास गाइड लाइन्स् के अनुसार वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है। साथ ही यह भी अपेक्षा की गयी है कि प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रमाणित किया जाय कि प्रस्तावित कार्यो पर व्यय कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र के विकास हेतु ही किया जायेगा।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तावित तारबाड़ के कार्यों के साथ सतावरी एवं करौंदा आदि की बाड़ लगाने की लागत को परियोजनान्तर्गत सम्मिलित करने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0 604.62 लाख का अनुमोदन वर्ष 2015–16 के लिए प्रदान किया गया।**

**5.4** पशुपालन विभाग :–

**a.** Establishment of Disease Diagnostic Laboratories at District level परियोजना लागत रू0 2686.45 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में प्रदेश के 65 जनपदों में पशु रोग निदान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए रू0 2686.45 लाख की संस्तुति एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ की गयी है। *भारत सरकार द्वारा परियोजना के वित्त पोषण को इस निर्देश के साथ सपोर्ट किया गया है कि प्रस्तावित कार्यो की डुप्लीकेसी आई.एस.सी.ए.डी. योजना के कार्यो के साथ न हो।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0 2686.45 लाख का अनुमोदन वर्ष 2015–16 के लिए प्रदान किया गया।**

**b.** Goat and Sheep training center at Jamunapari goat farm, Etawah परियोजना लागत रू0 565.00 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस.एल.पी.एस.सी. की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में जनपद इटावा में बकरी एवं भेड़ प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 565.00 लाख की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि पशुपालन विभाग प्रशिक्षण पर आने वाले प्रति वर्ष आर्वतक व्यय का वहन स्वयं करेगा एवं प्रशिक्षण केन्द्र का Training module and Schedule का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा। *भारत सरकार द्वारा भी परियोजना के वित्त पोषण हेतु राज्य पी0डब्लू0डी0 की दरों एवं एस0एल0पी0एस0सी0 के अभिमत के अनुसार सूचनायें उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना लागत रू0 565.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2015–16 के लिए भारत सरकार तथा एस0एल0पी0एस0सी0 की संस्तुति/अपेक्षा के अनुसार सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ प्रदान किया गया।**

**c.** Goatary scheme परियोजना लागत रू0 236.67 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में प्रदेश के 68 जनपदों (बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर) में (10 बकरी +1 बकरा प्रति इकाई) 1127 इकाईयों की स्थापना हेतु रू0 236.67 लाख की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि योजनान्तर्गत प्रति इकाई लागत का 25 प्रतिशत अंश आर0के0वी0वाई0 से, 25 प्रतिशत अंश पशुपालन विभाग के राज्य बजट से तथा 50 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं अथवा बैंक ऋण के रूप में वहन किया जायेगा।

*भारत सरकार द्वारा परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रति इकाई लागत रू0 0.84 लाख के अन्तर्गत Medicine and Vaccine हेतु प्रस्तुत रू0 0.012 लाख को कम करते हुए रू0 0.006 लाख प्रति इकाई लागत रू0 0.7914 लाख की संस्तुति के साथ परियोजना को वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परियोजना लागत रू0 222.98 लाख का अनुमोदन वर्ष 2015–16 के लिए भारत सरकार तथा एस0एल0पी0एस0सी0 की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही कराने के निर्देश के साथ प्रदान किया गया।**

**d.** Eradication of Anna Pratha in Bundelkhand Region परियोजना लागत रू0 698.04 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 05 जनपदों में अन्ना प्रथा उन्मूलन हेतु रू0 698.04 लाख की संस्तुति एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ की गयी है। *भारत सरकार द्वारा परियोजनान्तर्गत प्रजाति विकास कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित लागत रू0 253.09 लाख को कम करते हुए रू0 79.00 लाख करने, न्याय पंचायतों हेतु उच्च प्रजाति के साड़ क्रय हेतु प्रस्तावित रू0 90.60 लाख तथा बीमा परिव्यय हेतु रू0 5.29 लाख एवं विभागीय पैरावेट्स/ बी0ए0आई0एफ0 केन्द्रों हेतु प्रस्तावित इन्सेन्टिव रू0 113.60 लाख को सपोर्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित चारा बीजों की उपलब्धता हेतु रू0 228.56 लाख को ए0एफ0डी0पी0 के कास्ट नार्म्स पर प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार औचित्य पूर्ण प्रस्ताव पुनः भारत सरकार को भेजकर अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।**

**e.** Additional Fodder Development Programme उपयोजना लागत रू0 660.00 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश के 50 सूखाग्रस्त जनपदों में हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु भारत सरकार के द्वारा अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। तद्क्रम में प्रदेश स्तर से रू0 660.00 लाख की कार्ययोजना भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी है। एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उपयोजना के वित्त पोषण की संस्तुति के साथ एस0एल0एस0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। *इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उपयोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आयोजित बैठक दिनाँक 22.01.2016 में प्रस्तावित चारा बीज वितरण के कार्य कृषि विभाग के द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार द्वारा उपयोजना हेतु रू0 3.96 करोड़ (60 प्रतिशत केन्द्रांश) के साथ सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार उपयोजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग द्वारा कराये जाने तथा भारत सरकार के अभिमत के अनुसार उपयोजना हेतु वर्ष 2015–16 के लिए कार्ययोजना लागत रू0 660.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

5.5 मत्स्य विभाग :–

a. Establishment of Carp fish seed hatcheries परियोजना लागत रू0 96.00 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में परियोजना की उपादेयता के दृष्टिगत वर्ष 2015–16 हेतु रू0 96.00 लाख की कार्ययोजना की संस्तुति एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु संस्तुत की गयी है। *भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त मत्स्य बीज उत्पादन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश के साथ परियोजना को वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार सूचनायें उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ वर्ष 2015–16 हेतु परियोजना लागत रू0 96.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

b. Strengthening of existing hatcheries परियोजना लागत रू0 63.38 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में निजी क्षेत्र में स्थापित हैचरियों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित अनुदान 75 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत आर.के.वी.वाई. से अनुदान दिये जाने की संस्तुति के साथ 169 हैचरियों के सुदृढ़ीकरण का कार्य वर्ष 2015–16 में ही पूर्ण कराने के निर्देश के साथ रू0 63.38 लाख की पुनरीक्षित कार्ययोजना एस0एल0एस0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी थी। तद्क्रम में मत्स्य विभाग द्वारा 150 निजी क्षेत्र की हैचरियों के सुदृढ़ीकरण का कार्य 03 वर्षो में (50 हैचरियों हेतु रू0 18.75 लाख प्रति वर्ष) कराने हेतु रू0 56.25 लाख की संशोधित कार्य योजना प्रस्तुत की गयी है। *भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त मत्स्य बीज उत्पादन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा के साथ परियोजना को वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा भारत सरकार की अपेक्षानुसार सूचनायें उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ परियोजना लागत रू0 56.25 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

5.6 गन्ना विभाग :–

a. Sugarcane breeder seed and foundation seed production programme परियोजना लागत रू0 828.60 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में कार्ययोजना लागत रू0 828.60 लाख को एस0एल0एस0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति इस निर्देश के साथ की गयी है कि विगत वर्षो में आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत गन्ना विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करा लिया जाय, योजना को प्रभावी/उपादेय बनाने हेतु उपाय किये जाय एवं विभागीय वेबसाइट पर पंजीकृत गन्ना बीज उत्पादकों की सूची अपलोड की जाय। *भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि प्रजनक गन्ना बीज का उत्पादन ब्रीडर/साइंटिस्ट एवं आधारीय गन्ना बीज का उत्पादन ब्रीडर/एस.एम.एस. द्वारा किया जाय, तथा प्रजातिवार बीज उत्पादन के लक्ष्य नहीं दिये गये है एवं उच्च सुगर रिकवरी हेतु संस्तुत उच्च उत्पादकता वाली नवीन प्रजातियों के अभिजनक एवं आधारीय बीज का उत्पादन का कार्य किया जाय। इसके अतिरिक्त विगत वर्षो में उत्पादित अभिजनक गन्ना बीज तथा प्रजातिवार अभिजनक बीज से उत्पादित आधारीय बीज की उपलब्धता की स्थिति से भी भारत सरकार को अवगत कराया जाय।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की संस्तुति/अपेक्षानुसार**

वॉछित सूचनायें उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना लागत रू0 828.60 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

**b.** High quality sugarcane seed production and distribution programme परियोजना लागत रू0 1250.00 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में कि विगत वर्षो में आर0के0वी0वाई0 अन्तर्गत गन्ना विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करा लिया जाय, योजना को प्रभावी/उपादेय बनाने हेतु उपाय किये जायं एवं विभागीय वेबसाइट पर पंजीकृत गन्ना बीज उत्पादकों की सूची भी अपलोड की जाय। *भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में प्रजातिवार उत्पादित आधारीय गन्ना बीज की मात्रा जिसका वितरण परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित किया गया है, का विवरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा के साथ परियोजना को सपोर्ट नहीं किया गया है।* समिति द्वारा सम्यक्विचारोपरान्त भारत सरकार की संस्तुति/अपेक्षानुसार वॉछित सूचनायें उपलब्ध कराने तथा केन्द्र स्तर से सकारात्मक अभिमत प्राप्त होने की स्थिति में वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना लागत रू0 1250.00 लाख का वित्त पोषण करने के निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

**5.7** पी0सी0डी0एफ0 :–

**a.** Capital assistance for reprocessing of 55MT skimmed/whole milk powder at Meerut Plant परियोजना लागत रू0 6.88 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में पी.सी.डी.एफ. के स्तर पर उपलब्ध 55 मै0टन skimmed milk powder की री–प्रोसेसिंग हेतु रू0 25 प्रति कि0ग्रा की दर के अनुसार कुल लागत रू0 13.75 लाख के सापेक्ष आर0के0वी0वाई0 से 50 प्रतिशत वित्त पोषण हेतु रू0 6.88 लाख की संस्तुति एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु की गयी हैं। *भारत सरकार द्वारा मिल्क पाउडर के सम्बन्ध में Date of Manufacture and Expiry date of SMP to be reprocessed की सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा के साथ 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता भारत सरकार के पत्र दिनाँक 15.10.2015 में दिये गये अभिमत/टिप्पणी का परिपालन कराने के निर्देश के साथ वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत भारत सरकार के निर्देशानुसार सूचनायें उपलब्ध कराने तथा सकारात्मक टिप्पणी प्राप्त करते हुए परियोजना हेतु रू0 6.88 लाख का वित्त पोषण करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

**5.8** रेशम विभाग :–

**a.** Modernization and strengthening of infrastructure for quality silk production परियोजना लागत रू0 1075.50 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मोबाइल ए0सी0 वैन का संचालन एवं रख–रखाव रेशम विभाग द्वारा स्वयं के संसाधनों से करने के निर्देश के साथ परियोजना हेतु वर्ष 2015–16 के लिए रू0 1075.50 लाख के अनुमोदन की संस्तुति की गयी है। *भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित मोबाइल ए0सी0 वैन के क्रय लागत रू0 25.00 लाख को सपोर्ट नहीं किया गया है तथा अन्य गतिविधियों हेतु आवश्यक लागत*

*रू0 1050.50 लाख का वित्त पोषण आर0के0वी0वाई0 की गाइड लाइन के अनुसार करने हेतु सपोर्ट किया गया है।* बैठक में नियोजन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इंगित किया गया कि राज्य नियोजन संस्थान, मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रेशम विभाग की संचालित परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है जिसके परिणाम अच्छे नहीं आये है। परियोजना अनुमोदन के पूर्व निष्कर्षो पर भी विचार कर लिया जाय। **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की संस्तुति के अनुसार मोबाइल ए0एसी0 वैन के क्रय हेतु प्रस्तावित लागत रू0 25.00 लाख को कम करते हुए वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना लागत रू0 1050.50 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 स्तर पर मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन कार्यो के निष्कर्षो पर विभागवार विचार–विमर्श भी कर लिया जाय।**

**b.** Establishment of Solar system at selected Govt. Silk farms परियोजना लागत रू0 75.00 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित 10 सोलर इरीगेशन पम्पों की स्थापना हेतु वर्ष 2015–16 के लिए रू0 75.00 लाख के अनुमोदन की संस्तुति नेडा की दरों पर करने एवं रेशम विभाग के प्रक्षेत्रों पर अंतः फसली पद्धति अपनाये जाने की सम्भावनाओं पर विचार करने के निर्देश के साथ एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। *भारत सरकार द्वारा परियोजना को एस0एम0ए0एम0 की गाइड लाइन्स् के अनुसार वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की संस्तुति के अनुसार परियोजना का वित्त पोषण कराने के निर्देश के साथ कार्ययोजना लागत रू0 75.00 लाख का अनुमोदन वर्ष 2015–16 के लिए प्रदत्त किया गया।**

**5.9** लघु सिंचाई :–

**a.** Minor Irrigation works (deep/medium deep tube well with water distribution system/HDPE pipe) परियोजना लागत रू0 4000.00 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित गहरे/मध्यम गहरे नलकूप बोरिंगों हेतु रू0 4000.00 लाख की कार्ययोजना एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। *भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बोरिंग कार्यो हेतु एन0एम0एस0ए0 के कास्ट नार्म्स के आधार पर रू0 25000.00 प्रति बोरिंग तथा रू0 10000.00 प्रति इकाई वितरण प्रणाली हेतु वित्त पोषण की संस्तुति इस निर्देश के साथ की गयी है कि प्रस्तावित बोरिंग कार्य केन्द्रीय भू–गर्भ जल बोर्ड (CGWB) द्वारा चिन्हित अति दोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल क्षेत्रों में न कराये जाय।* कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा संस्तुत दरें उथले नलकूप बोरिंग की है, जबकि प्रदेश स्तर पर गहरे एवं मध्यम गहरे नलकूप बोरिंगों हेतु क्रमशः रू0 1.00 लाख प्रति बोरिंग तथा रू0 0.10 लाख प्रति इकाई जल वितरण प्रणाली तथा रू0 0.75 लाख प्रति बोरिंग तथा रू0 0.10 लाख प्रति इकाई जल वितरण प्रणाली के अनुदान हेतु कास्ट नार्म्स अनुमोदित हैं। अतः प्रदेश में बोरिंग कार्यों में अनुदान की एकरूपता बनाये रखना आवश्यक है। प्रस्तावित सम्पूर्ण 4275 नलकूप बोरिंग बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य

क्षेत्र के 09 जनपदों में कराये जाने उचित होंगे। **भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा इंगित किया गया कि प्रदेश द्वारा अनुमोदित कास्ट नार्म्स की प्रति कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध करा दी जाय। समिति द्वारा उक्तानुसार सम्यक् विचारोपरांत संयुक्त सचिव, भारत सरकार की अपेक्षानुसार सूचनायें भारत सरकार को उपलब्ध कराने तथा सकारात्मक अभिमत प्राप्त करने के निर्देश के साथ वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना लागत रू0 4000.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

**5.10** कृषि विश्वविद्यालय कानपुर :–

**a.** Participatory vegetable quality seed production to enhance vegetable production in U.P. परियोजना लागत रू0 38.20 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में परियोजना हेतु वर्ष 2015–16 के लिए रू0 38.20 लाख की कार्ययोजना एस0एल0एस0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। *भारत सरकार द्वारा परियोजना को एम0आई0डी0एच0 के कास्ट नार्म्स पर वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है।* समिति द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना लागत रू0 38.20 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

**b.** Farmers empowerment for high harvest of pulses in central plain zone of U.P. through participatory approach परियोजना लागत रू0 28.62 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में परियोजना हेतु वर्ष 2015–16 के लिए रू0 28.62 लाख की कार्ययोजना एस0एल0एस0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। *भारत सरकार परियोजनान्तर्गत 120 हे0 प्रदर्शन कार्यो हेतु प्रस्तावित रू0 19.00 लाख के सापेक्ष एन0एफ0एस0एम0 के कास्ट नार्म्स के अनुसार रू0 7500.00 प्रति हे0 की दर से रू0 9.00 लाख तथा 06 प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावित रू0 2.40 लाख के सापेक्ष एन0एफ0एस0एम0 के कास्ट नार्म्स के अनुसार रू0 14000.00 प्रति प्रशिक्षण की दर से रू0 0.84 लाख के वित्त पोषण की संस्तुति की गयी है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की संस्तुति के अनुसार कार्य कराने के निर्देश के साथ वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना हेतु रू0 16.86 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

**c.** Summer groundnut production programme परियोजना लागत रू0 26.87 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में परियोजना हेतु वर्ष 2015–16 के लिए रू0 26.87 लाख की कार्ययोजना एस0एल0एस0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। *भारत सरकार द्वारा परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु रू0 2.40 हजार को रू0 24000.00 प्रति प्रशिक्षण (30 कृषक 02 दिन के लिए) रू0 400.00 प्रति कृषक प्रतिदिन, ज्ञान चौपाल की स्थापना हेतु प्रति फार्मस फील्ड स्कूल रू0 26700.00 की दर से 10 ज्ञान चौपाल के लिए रू0 2.67 लाख, फील्ड डे, एक्सपोर्ज विज़िट, प्रशिक्षण सामग्री वितरण, आपरेशन कास्ट एवं प्रशिक्षण सामग्री/कार्यालय फर्नीचर हेतु प्रस्तावित धनराशि को प्रसार अनुभाग की गाइड लाइन्स के अनुसार वित्त पोषण हेतु सपोर्ट किया गया है।* **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत**

सरकार की संस्तुति के अनुसार वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना के वित्त पोषण हेतु कार्ययोजना लागत रू0 26.59 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

**d.** समिति द्वारा एस0एल0पी0एस0सी0 की संस्तुति के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर की उक्त तीनों परियोजनाओं हेतु अनुमोदित लागत के अन्तर्गत ही डाक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाने के निर्देश भी दिये गये।

**5.11 कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद :–**

**a.** Establishment of molecular lab for identification of physio-molecular traits in the way of submergence and drought dual tolerance rice varieties for rainfed lowland areas of eastern U.P. परियोजना लागत रू0 40.00 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0पी0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 06.01.2016 में परियोजना हेतु वर्ष 2015–16 के लिए रू0 40.00 लाख की कार्ययोजना एस0एल0एस0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। *भारत सरकार द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली का अभिमत प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी है।* समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत भारत सरकार के अभिमतानुसार कार्य योजना आई0सी0ए0आर0 को भेजने तथा सकारात्मक टिप्पणी प्राप्त होने की स्थिति में परियोजना का वित्त पोषण करने के निर्देश के साथ कार्ययोजना लागत रू0 40.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

समिति द्वारा उक्तानुसार विभागवार अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

*धनराशि लाख रू0 में*

| S. N. | Name of Project | Stream | Proposed cost | Approved Cost by SLSC |
|---|---|---|---|---|
| **Agriculture** | | | | |
| 1 | Farm ponds for conservation of rain water in Bundelkhand region | I | 1220.50 | 1220.50 |
| 2 | Liabilities of Soil testing programme of previous years | P | 924.63 | 924.63 |
| 3 | Liabilities of Seed production programme of of Govt. agriculture farms | P | 1358.00 | 1358.00 |
| | **Sub total** | | **3503.13** | **3503.13** |
| **Mandi Parishad** | | | | |
| 4 | Establishment of pesticide residual testing laboratories | I | **1120.00** | **1120.00** |
| **SIMA, Rehmankhera** | | | | |
| 5 | Fencing at Govt. farms, Rehmankhera- II phase | I | 318.30 | 318.30 |
| 6 | Construction of fencing of Sehlamau farm under SIMA | I | 604.62 | 604.62 |
| | **Sub total** | | **922.92** | **922.92** |
| **Animal Husbandry** | | | | |
| 7 | Establishment of Disease Diagnostic Laboratories at District level | I | 2686.45 | 2686.45 |
| 8 | Goat and Sheep training center at Jamunapari goat farm, Etawa | I | 565.00 | 565.00 |
| 9 | Goatary scheme | I | 236.67 | 222.98 |

| S. N. | Name of Project | Stream | Proposed cost | Approved Cost by SLSC |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Additional fodder development programme | S | 660.00 | 660.00 |
| | **Sub total** | | **4846.16** | **4148.12** |
| **Fisheries** | | | | |
| 11 | Establishment of Carp fish seed hatcheries | I | 96.00 | 96.00 |
| 12 | Strengthening of existing hatcheries | I | 56.25 | 56.25 |
| | **Sub total** | | **152.25** | **152.25** |
| **Sugarcane** | | | | |
| 13 | Sugarcane breeder seed and foundation seed production programme | P | 828.60 | 828.60 |
| 14 | High quality sugarcane seed production and distribution programme | P | 1250.00 | 1250.00 |
| | **Sub total** | | **2078.60** | **2078.60** |
| **PCDF** | | | | |
| 15 | Capital Assistance for reprocessing of 55 MT skimmed/ whole milk powder at Meerut Plant | P | **6.88** | **6.88** |
| **Sericulture** | | | | |
| 16 | Modernization and strengthening of infrastructure for quality silk production | I | 1075.50 | 1050.50 |
| 17 | Establishment of Solar system at selected Govt. Silk farms | I | 75.00 | 75.00 |
| | **Sub total** | | **1150.50** | **1125.50** |
| **Minor Irrigation** | | | | |
| 18 | Minor Irrigation works (deep/medium deep tube well with water distribution system/HDPE pipe) | I | **4000.00** | **4000.00** |
| **CSAUAT, Kanpur** | | | | |
| 19 | Participatory vegetable quality seed production to enhance vegetable production in U.P. | P | 38.20 | 38.20 |
| 20 | Farmers empowerment for high harvest of pulses in central plain zone of U.P. through participatory approach | P | 28.62 | 16.86 |
| 21 | Summer groundnut production programme | P | 26.87 | 26.59 |
| | **Sub total** | | **93.69** | **81.65** |
| **NDUAT, Faizabad** | | | | |
| 22 | Establishment of molecular lab for identification of physio-molecular traits in the way of submergence and drought dual tolerance rice varieties for rainfed lowland areas of eastern U.P. | P | **40.00** | **40.00** |
| | **P- (Production and growth)** | | **4501.80** | **4489.76** |
| | **I - (Infrastructure and asset)** | | **12054.29** | **12015.60** |
| | **S - (Sub scheme)** | | **660.00** | **660.00** |
| | **Total** | | **17216.09** | **17165.36** |
| | **Administrative (1%)** | | **172.16** | **171.65** |
| | **Grand total** | | **17388.25** | **17337.01** |

**6:- अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से**

समिति के समक्ष अन्य विषय के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति से निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा दिये गये निर्णयों/निर्देशों का विवरण निम्नवत् हैं :–

A. **आर0के0वी0वाई0 प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय का पुनरीक्षण** : Revision in the emoluments of RKVY employees as per revised norms :- समिति को अवगत कराया गया कि निदेशालय स्तर पर गठित आर0के0वी0वाई0 प्रकोष्ठ में सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत सलाहकार एवं अन्य कार्मिकों के मानदेय में एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 21.10.2010 में दिये गये निर्णय के क्रम में दिनाँक 01.10.2010 से 50 प्रतिशत की वृद्धि एवं दिनाँक 01.04.2011 से कार्मिको को देय मानदेय पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि अनुमोदित की गयी थी। वर्तमान में दिनाँक 01 अप्रैल 2014 से कृषि विभाग द्वारा संचालित आत्मा, एन0एफ0एस0एम0 एवं एन0एम0एस0ए0 स्कीम/मिशन के राज्य सलाहकार के मानदेय रू0 30000/ माह में भारत सरकार द्वारा रू0 50000/ माह (66.67%) की वृद्धि की गयी है तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में देय मानदेय पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि भी अनुमन्य की गयी है जिसके अनुसार कार्मिकों को भुगतान किया जा रहा है। आत्मा एवं एन0एफ0एस0एम0 स्कीम/मिशन के राज्य सलाहकार के अनुरूप आर0के0वी0वाई0 के राज्य सलाहकार एवं अन्य कार्मिकों के मानदेय में 66.67 प्रतिशत की वृद्धि एवं 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का अनुमोदन अपेक्षित है। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आर.के.वी.वाई. प्रकोष्ठ में कार्यरत राज्य सलाहकार एवं अन्य कार्मिकों को दिनाँक 01.10.2010 को देय मानदेय में 66.67 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का अनुमोदन प्रदान किया गया। यह व्यवस्था दिनाँक 01.04.2015 से प्रभावी होगी। इसके अतिरिक्त यथा प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में देय मानदेय पर दिनाँक 01.04.2016 से 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि तथा कार्मिकों को पूर्व की भाँति कन्वेन्स दिये जाने का अनुमोदन भी समिति द्वारा प्रदत्त किया गया।

**कृषि विभाग :–**

B. Water drainage scheme for different water logged areas in Ghazipur district परियोजना लागत रू0 94.59 लाख:– समिति को अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0सी0 की बैठक दिनाँक 22.05.2014 में जनपद गाजीपुर के जलभराव क्षेत्रोपचार के उद्देश्य से 07 ड्रेनों के जीर्णोद्धार हेतु रू0 102.24 लाख का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया गया था कि परियोजना का Techo- Financial Evaluation करा लिया जाय। तद्क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनाँक 03.02.2015 के द्वारा इंगित किया गया है कि राज्य स्तर पर ही Techo- Financial

Evaluation कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग, उ0प्र0 द्वारा 05 ड्रेनो पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया गया है। इस प्रकार अब परियोजना हेतु रू0 94.59 लाख की आवश्यकता है तथा परियोजना का वित्त पोषण वर्ष 2015–16 में अपेक्षित है। **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यथा प्रस्ताव परियोजना का क्रियान्वयन कराने एवं पुनरीक्षित लागत रू0 94.59 लाख का वित्त पोषण वर्ष 2015–16 में करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**

C. Integrated Cereals Development Programme-Rice परियोजना लागत रू0 300.00 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि खरीफ 2016 में धान के बीज का वितरण समय से कराने तथा कृषकों को अनुदान यथा–समय उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक है कि आई0सी0डी0पी0–चावल कार्यक्रम हेतु वर्ष 2016–17 के लिये रू0 300.00 लाख की कार्ययोजना का अनुमोदन एन0एफ0एस0एम0 के कास्ट नार्म्स के अनुसार वित्त पोषण हेतु अनुमोदित कर दिया जाय। **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2016–17 हेतु यथा प्रस्ताव परियोजना लागत रू0 300.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

D. Proposal for implementation of Accelerated Fodder Development Programme by Agriculture department उपयोजना लागत रू0 648.48 लाखः– समिति को अवगत कराया गया कि उपयोजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 की रू0 648.48 लाख उपलब्ध है जिसका उपयोग वर्ष 2015–16 में भारत सरकार के स्तर से निर्गत पुनर्वेधीकरण के अनुसार किया जाना है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनाँक 22.01.2016 में चारा बीज वितरण का कार्य कृषि विभाग के द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये है। तद्क्रम में समिति का अनुमोदन अपेक्षित है। **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यथा प्रस्ताव त्वरित चारा विकास कार्यक्रम उपयोजना की अप्रयुक्त धनराशि रू0 648.48 लाख के सापेक्ष उपयोजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग द्वारा किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**

E. प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु दलहनी एवं तिलहनी फसलों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने की योजना लागत रू0 1209.98 लाखः– समिति के समक्ष अन्य विषय के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति से "प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु दलहनी एवं तिलहनी फसलों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने की योजना" परियोजना लागत रू0 1209.98 लाख प्रस्तुत की गयी। **समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त औचित्य पूर्ण प्रस्ताव एस0एल0पी0एस0सी0 की आगमी बैठक में प्रस्तुत कर समिति की संस्तुति के साथ एजेण्डा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।**

**बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।**

**आलोक रंजन**
मुख्य सचिव।

**उत्तर प्रदेश शासन**

कृषि अनुभाग–3

संख्या–171 / 12–3–2016–199 / 2007

लखनऊः दिनांक 16 फरवरी, 2016

**प्रतिलिपिः**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सलाहकार, कृषि, केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार, योजना भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
11. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
12. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
13. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
14. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
15. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
16. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
17. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
18. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
19. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
20. प्रमुख सचिव, रेशम विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
21. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
22. निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ।
23. महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
24. कुलपति, नरेन्द्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
25. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
26. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
27. कुलपति, डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
28. कुलपति, पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान वि0वि0 एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
29. कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
30. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
31. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
32. निदेशक, बीज प्रमाणीकरण, संस्था उ0प्र0, लखनऊ।
33. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

इन्द्रदेव सिंह

34. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
35. निदेशक, मत्स्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
36. निदेशक, रेशम विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।,
37. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
38. कार्यकारी अधिकारी, पशुधन विकास परिषद,उ0प्र0 लखनऊ।
39. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
40. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
41. परियोजना समन्वयक, कृषि विविधीकरण परियोजना उ0प्र0 लखनऊ।
42. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
43. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
44. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ।
45. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम, लखनऊ।
46. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0, लखनऊ।
47. नोडल अधिकारी रा.कृ.वि.यो., उ.प्र. कृषि भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

( इन्द्रदेव पटेल )
विशेष सचिव।